"उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

श्रीमती मुक्ता चौकसे

सहायक प्राध्यापक

सेंटअलॉयसियस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

सारांश

मानव अधिकार की अवधारणा अति प्राचीन है यह धारणा मानव की गरिमा से जुड़ी है | मनुष्य के अस्तित्व एवं सर्वांगीण विकास के लिए मानवाधिकार परम आवश्यक है | हमारा कर्तव्य है कि हम प्राथमिक स्तर से विद्यार्थियों को मानवाधिकार से परिचित कराएं, क्योंकि समाज में सभी वर्गों के बच्चे युवा एवं बुजुर्ग में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बहुत कम है या तो उसके बारे में जानकारी नहीं है या अधूरी है | समाज में उन्नत या धनाढ्य वर्ग के लोग का अपने घरों में पीढ़ियों से एक ही परिवार का लगातार मजदूर या बंधुआ मजदूर के रूप में बच्चों का शोषण किया जाता रहा है | इसी प्रकार कम उम्र की या नाबालिक लड़कियों का दैहिक शोषण हो रहा है क्योंकि बच्चों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है | अतः सभी वर्ग के विद्यार्थियो में जागरूकता लाने के लिए इस विषय का चुनाव शोध के लिये चुना गया है | इस प्रकार विद्यालय के माध्यम से विभिन्न संकाय के विद्यार्थियो में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता आयेगी | इस शोध का उद्देश्य -**"उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कला एवं विज्ञानं संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन"** इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा ग्यारहवीं के 130 कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है | शोध से संबंधित आंकड़ों का संकलन करने हेतु स्व- निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है | शोध से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए M, S.D, C R का प्रयोग किया गया | परिणामतः प्राप्त हुआ कि संकाय का विद्यार्थियों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं आता है |

Key Words: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थी, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता

प्रस्तावना

"हम सब बराबर

बराबर हमारे अधिकार"

-म.प्र.मानव अधिकार आयोग

भारत प्राचीन काल से ही अधिकारों का समर्थक रहा है | जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मानव को जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्रदान किये गये हैं | अत: ये अधिकार मानव व्यक्तित्व के अटूट अंग हैं |

"अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है |"

-हैरोल्ड लास्की

मनुष्य इन अधिकारों को मानव परिवार के एक सदस्य के रूप में प्राप्त करता है | इन्हीं अधिकारों को "मानव अधिकारों" की संज्ञा दी जाती है | मानव अधिकार शिक्षा मात्र किताबी न होकर व्यावहारिक होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी ताकि विद्यार्थी उसका प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकें | उपभोक्ता संरक्षण केंद्र अथवा परिवार परामर्श केंद्र खोल देने मात्र से किसी को न्याय नहीं मिलता, उसकी पर्याप्त जानकारी जरूरी है | आधुनिक समय में लोकतंत्रीय अवधारणा पूरे विश्व में लोकप्रिय है | अपने संविधान की समझ तथा मानव अधिकार के प्रति जागरूकता का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक है, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं | अत: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि मानवाधिकार ही वे आधार भूत अधिकार हैं जो उनके सर्वांगीण विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है |

मानवाधिकार वर्तमान युग की एक मानवीय आवश्यकता है इसके अभाव में एक व्यक्ति मानवीय जीवन नहीं जी सकता है | मानवाधिकार का यह नामकरण द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात बनने वाले अंतरराष्ट्रीय चार्टरों तथा सम्मेलनों में किया गया | इस नाम का प्रथम प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र या चार्टर में किया गया | यह घोषणा पत्र 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जारी किया गया था | संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1998 को मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई |

समस्या अभिकथन

“उच्चतर माध्यमिक शालाओं के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन”

शोध की आवश्यकता व महत्व

व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है , इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास असंभव है, अतः इसकी उपयोगिता और महत्व को ध्यान में रखकर ही मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी | अतःहम यह कह सकते हैं कि मानवीय जीवन में लोकतंत्र की रक्षार्थ एवं सभ्य नागरिकों के जन्म हेतु मानवाधिकारों के प्रति समझ एवं जानकारी विकसित करनाअत्यंत आवश्यक है एवं विद्यार्थियों के सुखद भविष्य के लिए मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु उपाय करना भी आवश्यक है | प्रारंभ से ही यदि छात्रों को इन अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए तो भविष्य में अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे | मनुष्य के विकास में मानवाधिकार का ज्ञान महत्वपूर्ण है इससे मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता सकेगा तथा वह अपने अधिकारों को समझ सकेगा तथा उसके अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा | अतः इसके लिए शिक्षा द्वारा उन्हें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है | इस प्रकार स्वत्रंत समाज में मनुष्य अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकता है |

उद्देश्य

अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना है तथा कार्य की सफलता का मूल्यांकन भी उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है | अनुसंधान में उद्देश्यों का बहुत महत्व है क्योंकि ये अनुसंधान की दिशा व दशा को निर्धारित करते हैं |

इस शोधकार्य हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

1. कला / विज्ञान संकाय के छात्रों/ छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना |

2. कला संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना |

3. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना |

परिकल्पना

1. कला / विज्ञान संकाय के छात्र / छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं होता है |

2. कला संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं होता है |

3. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं होता है |

परिसीमन

प्रस्तुत शोध का सीमांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया गया है-

1. प्रस्तुत शोध कार्य में जबलपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के कला एवं विज्ञान संकाय के छात्र तथा छात्राओं का चयन किया गया है |
2. इस शोध कार्य के न्यादर्श हेतु 130 छात्र तथा छात्राओं का चयन किया गया है |
3. संबंधित शोध में कला एवं विज्ञान संकाय के छात्र तथा छात्राओं का अध्ययन किया गया है |

शोध विधि

शोध विधि के अभाव में कोई भी शोध कार्य संभव नहीं है | शैक्षिक और सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण विधि सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है | शोधकर्त्ता ने शोध के उद्देश्यों व प्रकृति को आधार बनाकर अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है |

न्यादर्श

साधन, सुविधा व धन की दृष्टि से शोध को मितव्ययी बनाने तथा विश्वसनीय व त्रुटिरहित परिणाम प्राप्त करने हेतु न्यादर्श आवश्यक है | यह संपूर्ण सम ष्टि का प्रतिनिधित्व करता है | प्रस्तुत शोधकार्य में जबलपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के कला एवं विज्ञान संकाय के कुल 130 छात्र तथा छात्राओं का चयन किया गया है |

न्यादर्श सारणी

संकाय	छात्र	छात्रायें	कुल
कला	30	30	60
विज्ञानं	37	33	70
कुल	67	63	130

चर

प्रस्तुत शोधकार्य में निम्नलिखित चर लिये गये हैं-

1. स्वतंत्र चर - संकाय (कला / विज्ञान)
2. आश्रित चर - मानवाधिकार के प्रति जागरूकता
3. नियंत्रित चर – कक्षा 11वीं के विद्यार्थी

उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है | शोधकर्त्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन के आकडों का विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय विधियाँ- 1. मध्यमान (M) 2. मानक विचलन (S.D.) 3. क्रांतिक अनुपात (CR) का प्रयोग किया है |

परिणामों का विश्लेषण

तालिका-1

कला एवं विज्ञान संकाय के छात्रों की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

संकाय	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
कला	30	48.50	6.95	1.44	>0.05
विज्ञानं	37	50.57	4.10		

स्वतंत्रता के अंश=65 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.00

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.65

तालिका के परिणामों से स्पष्ट होता है कि कला संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी मध्यमान 48.50 एवं विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी मध्यमान 50.57 प्राप्त हुआ इनका अंतर 2.07 है यह अंतर सांख्यिकी दृष्टिकोण से सार्थक नहीं है क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 1.44 आया है जो 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थकता हेतु निर्धारित न्यूनतम मान 2.00 की अपेक्षा कम है |

विज्ञान संकाय के छात्रों के प्राप्ताकों में कला संकाय के छात्रों की अपेक्षा कम विचिलनशीलता है, क्योंकि विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी मानक विचलन 4.10 है और कला संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी मानक विचलन 6.95 है | अतः परिणाम के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कला एवं विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं है अर्थात संकाय के छात्रों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |

तालिका-02

कला एवं विज्ञान संकाय की छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

संकाय	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
कला	30	48.63	3.49	0.78	>0.05
विज्ञान	33	47.94	3.48		

स्वतंत्रता के अंश=61 0.05स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.00

0.01स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.66

अतः परिणाम के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कला एवं विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं है अर्थात संकाय के छात्रों की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |

तालिका-3

कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियो में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

संकाय	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
कला	60	48.56	5.51	0.89	>0.05
विज्ञान	70	49.33	4.04		

स्वतंत्रता के अंश=128 0.05स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=1.98

0.01स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.61

अतः परिणाम के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियो में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं है, अर्थात् संकाय का विद्यार्थियो की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |

तालिका-4

कला संकाय के छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

संकाय		संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
कला	छात्र	30	48.50	6.95	0.09	>0.05
	छात्रायें	30	48.63	3.49		

स्वतंत्रता के अंश=58 0.05स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान =2.00

0.01स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान =2.66

अतः परिणाम के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि कला संकाय की छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर नहीं है, अर्थात् कला संकाय का छात्र एवं छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |

तालिका-5

विज्ञान संकाय के छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता संबंधी तुलनात्मक परिणाम

संकाय		संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
विज्ञान	छात्र	37	50.57	4.10	2.92	<0.01
	छात्रायें	33	47.94	3.48		

स्वतंत्रता के अंश=68 0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.00

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु आवश्यक मान=2.65

अतः परिणाम के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विज्ञान संकाय की छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर है, अर्थात् विज्ञान संकाय के छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता है |

परिणामों की व्याख्या

शोध परिणाम से स्पष्ट है कि "उच्चतर माध्यमिक शाला के कला एवं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन" में कला विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया, जिसमें सांख्यिकी विश्लेषण के उपरांत उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पर संकाय का प्रभाव नहीं पड़ा | इसका कारण यह हो सकता है कि विद्यालय में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाएं के दौरान सभी संकाय के विद्यार्थियों को समान रूप से सहभागिता का अवसर मिलता है इसके अलावा संचार के विभिन्न साधन जैसे- समाचार पत्र पत्रिकाएं रेडियो तथा टेलीविजन, मोबाइल फोन आदि विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुए है | **कुमारी शोभना (2004)** के परिणाम उपरोक्त परिणामों से समानता रखते हैं |इनके परिणामों में भी छात्र-छात्राओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं पाया गया | जबकि इसके विपरीत **यादव घनश्याम प्रसाद(2001)** के परिणामों में शहरी एवं ग्रामीण छात्र-छात्राओं की मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया | विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में अंतर पाया गया, इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि छात्राएं विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं-कलापों में अधिक सक्रियता दिखलाती है | विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श करती हैं जबकि छात्र स्वभाव से लापरवाह होते हैं | विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पाये जाने का कारण है कि विज्ञान संकाय के छात्रों में तर्क शक्ति का गुण भी होता है एवं छात्राओं की तुलना में वे घर से बाहर भी ज्यादा समय देते हैं | वर्तमान समय में जिन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक होती है वे छात्र विज्ञान विषय को चुनते हैं एवं जिन छात्रों की सबसे कम शैक्षिक उपलब्धि होती हैं, वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी सचेत नहीं होते हैं और ऐसे छात्र अपने मानवाधिकार के प्रति जागरूक नहीं होते हैं |

निष्कर्ष

1. कला एवं विज्ञान संकाय के छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है, परिणामों से स्पष्ट है कि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 1.44 है जो सांख्यिकीय दृष्टिकोण से 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है |

(सारणी क्रमांक 1.01)

2. कला एवं विज्ञान संकाय की छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है परिणामों से स्पष्ट है कि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 0.78 है जो सांख्यिकी दृष्टिकोण से 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है |

(सारणी क्रमांक 1.02)

3. कला एवं विज्ञान के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है क्योंकि प्राप्त कांतिक अनुपात का मान 0.89 जो सांख्यिकीय दृष्टिकोण से 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है |

(सारणी क्रमांक 1.03)

4. कला संकाय के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है क्योंकि प्राप्त कांतिक अनुपात का मान 0.09 है जो सांख्यिकीय दृष्टिकोण से 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है |

(सारणी क्रमांक 1.04)

5. विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता में अंतर है क्योंकि प्राप्त कांतिक अनुपात का मान 2.92 है जो सांख्यिकीय दृष्टिकोण से 0.01 विश्वास के स्तर पर सार्थक है | परिणामों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान संकाय के छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक है |

(सारणी क्रमांक 1.05)

भावी शोध हेतु सुझाव

- अतः उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसका दायित्व हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है कि उन्हें प्राथमिक स्तर से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आदर करने, कर्तव्यों का पालन करने, देश की अखंडता बनाए रखने हेतु कृत संकल्पित होने एवं जीवन में अनुशासित रहने का महत्व सिखाएं |
- विद्यालय में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाये | पाठ्यक्रम में मानवाधिकार से संबंधित सामग्री का समावेश किया जाये |
- नियमित विद्यालय प्रार्थना सभा के समय मानवाधिकार से संबंधित घटनाओं तथा निणयों से संबंधित जानकारी दी जाए |
- विदयालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर इस दिशा में जागरूकता बढायी जा सकती है |

अतः आज के विद्यार्थी आने वाले कल के भावी नागरिक और देश के कर्णधार हैं | अतः उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए जिसका दायित्व हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है कि उन्हें प्राथमिक स्तर से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आदर करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने, देश की अखंडता बनाए रखने हेतु कृत संकल्पित होने एवं जीवन में अनुशासित रहने का महत्व सिखाएं |

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अवस्थी,ए.आर. (1997), "मानवाधिकार और संविधान", लॉ पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली |

2. बाबेल, डॉ. संतीलाल (1993), "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम" प्र.सं 8 |

3. मिश्र, अशोक कुमार, "मानव अधिकार सबके लिए", मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल |

4. राय, पारसनाथ(2007), "अनुसंधान परिचय", नवरंग ऑफसेट प्रिंटर्स, आगरा |

5. मेहता, जे. के. (2005), "भारत में मानव अधिकार", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली |

6. शर्मा, डॉ. माता प्रसाद, "मानवाधिकार एवं शिक्षा", नवीन संस्करण, श्री कविता प्रकाशन, जयपुर |